

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/ 831

दिनांक: 19/10/2020

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) को धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्नांकित ग्राम पंचायत क्षेत्र/राजस्व ग्राम को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करती है:-

क्र. सं.	जिला	नवगठित नगर पालिका का नाम	नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत एवं राजस्व ग्राम
1.	जयपुर	बस्सी	ग्राम पंचायत बस्सी
2.	जयपुर	पावटा	ग्राम पंचायत पावटा का राजस्व ग्राम पावटा एवं शिवनगर, ग्राम पंचायत प्रागपुरा का राजस्व ग्राम प्रागपुरा
3.	अलवर	लक्ष्मणगढ	लक्ष्मणगढ (पूर्ण ग्राम पंचायत), राजस्व ग्राम गौजपुर, बहरपुरी, सजनपुरी, खेडली लोधा, सैमला, लीली एवं सूरजगढ
4.	अलवर	रामगढ	ग्राम पंचायत रामगढ का राजस्व ग्राम रामगढ, ग्राम पंचायत खेडी का राजस्व ग्राम खेडी एवं डोली, ग्राम पंचायत दोहली का राजस्व ग्राम बर्डोद, दोहली, सरहेटा, बाघोडी, यादव नगर, ग्राम पंचायत ललावंडी का राजस्व ग्राम पूठी, ग्राम पंचायत निवाली का राजस्व ग्राम निवाली एवं रोनागढ, ग्राम पंचायत पिपरोली का राजस्व ग्राम नंगला बलेया, पिपरोली, गोहा एवं चोकी
5.	अलवर	बानसूर	राजस्व ग्राम कस्बा बानसूर (ग्राम पंचायत बानसूर), बाढ पुरोहित, बाढ ढेगूवास, बाढ धूधला, बाढ-भावसिंह, माजरा रावत, टोडिया का बास (ग्राम पंचायत लेकडी)
6.	दौसा	मण्डावरी	ग्राम पंचायत मण्डावरी
7.	जोधपुर	भोपालगढ	ग्राम पंचायत भोपालगढ एवं बासनी थेडा
8.	सिरोही	जावाल	राजस्व ग्राम जावाल पंचायत क्षेत्र जावाल
9.	भरतपुर	सीकरी	ग्राम पंचायत सीकरी का राजस्व ग्राम सैदवाडा पट्टी, सौलपुर पट्टी, कुतकपुर पट्टी, सीकरी पट्टी एवं कामिलपुर पट्टी
10.	भरतपुर	उच्चैन	राजस्व ग्राम उच्चैन, ग्राम पंचायत अंधियारी का राजस्व ग्राम तुहियापट्टी, अंधियारी, बसेरी, ग्राम पंचायत चकखरका का राजस्व ग्राम चकखरका, खरका, बारह पट्टी, गिलगिलियापट्टी, चूरासीगूजर, गहलऊ, रूंध खरका, ग्राम पंचायत खरैरा का राजस्व ग्राम खरैरा, बरकौली, जुगलापट्टी
11.	धौलपुर	सरमथुरा	ग्राम पंचायत सरमथुरा का राजस्व ग्राम सरमथुरा-I, सरमथुरा-II, गढाखो, गैदापुरा, पदमपुरा, बरईपुरा
12.	धौलपुर	बसेडी	ग्राम पंचायत बसेडी का राजस्व ग्राम बसेडी-I, बसेडी-II, कन्दपुरा, ग्राम पंचायत तिमासिया का राजस्व ग्राम तिमासिया, मद बादरी एवं ग्राम पंचायत बरई का राजस्व ग्राम नगला दरवेशा
13.	करौली	सपोटरा	सम्पूर्ण ग्राम पंचायत सपोटरा, राजस्व ग्राम लोकेशनगर, ग्राम पंचायत बापोती के राजस्व ग्राम तुरसंगपुरा, बापोती, मांगरोल
14.	कोटा	सुल्तानपुर	राजस्व ग्राम सुल्तानपुर-ग्राम पंचायत सुल्तानपुर, झाटोली-ग्राम पंचायत खेडली तंवरान, तोरण-ग्राम पंचायत

उज्जवल राठौड़  
निदेशक एवं संयुक्त सचिव  
स्वायत्त शासन विभाग

			तोरण, नोताडा-ग्राम पंचायत नोताडा, खण्डगांव-ग्राम पंचायत नोताडा एवं नापाहैडा-ग्राम पंचायत किशोरपुरा
15.	बारां	अटरू	ग्राम पंचायत अटरू का राजस्व ग्राम अटरू, लक्ष्मीपुरा, ग्राम पंचायत खेडलीगंज का राजस्व ग्राम खेडलीगंज, ग्राम पंचायत रतनपुरा का राजस्व ग्राम रतनपुरा, गोविन्दपुरा, चैनपुरिया, ग्राम पंचायत बंरला का राजस्व ग्राम खेडलीबांसला, ग्राम पंचायत मेरभाचाह का राजस्व ग्राम बेडक्या
16.	श्रीगंगानगर	लालगढ-जाटान	ग्राम पंचायत लालगढ-जाटान

राज्यपाल की आज्ञा से,

3-12/20  
(उज्ज्वल राठौड़) उज्ज्वल राठौड़  
निदेशक एवं संयुक्त सचिव एवं संयुक्त सचिव  
दिनांक: 19/06/2020 स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/ 632 to 722

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग राज. जयपुर।
05. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
07. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
08. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिकाओं में सम्मिलित किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्रों को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव, को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
09. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
10. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
11. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर समस्त राजस्थान।
12. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।
13. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 50 प्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु।
14. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
15. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
16. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
17. सरपंच /उपसरपंच/सचिव,संबंधित ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम पंचायत.....
18. सुरक्षित पत्रावली।

परिपोषण निदेशक

(संजय मोथुर)  
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी  
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी  
स्वायत्त शासन विभाग